प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स छ.ग. रा.वि.पारे.कं.मर्या रायपुर को 132 के.व्ही. लाईन कार्य हेतु महासमुन्द जिला मे महासमुन्द वनमण्डल में ग्राम चोरभट्ठी गांव के वन भुमि व्यपवर्तन हेतु 2.37 हे0 वन भुमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधि.नियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.37 हेक्टेयर एवं/~~राजस्व~~ वन भूमि [illegible] हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम–चोरभट्टी तहसील महासमुंद में स्थित है, तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 11.01.2016 (प्रदर्श–अ) एवं वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–ब) पर दर्शित है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव चोरभट्टी गांव के सरपंच श्री/श्रीमति अंसुशीला गंधर्व की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 11.01.2016 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1.	निरंक	निरंक	निरंक

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 11.01.2016 .अनुसार ऐसी विलुप्त प्राय जनजाति समुह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिसका वनअधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5/ संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 11.01.2016 .के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

कलेक्टर
जिला –महासमुंद